



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-684

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 303694 दिनांक 18/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Urmila Meena W/o KAMAL MEENA	श्रीमती नर्बदा देवी मीणा पत्नी श्री नेहनू राम मीणा	B170	81.87 SQ. YARD	Cooperative	SHIKSHA VIHAR	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta)	श्रीमती उर्मिला मीणा पुत्री श्री नेहनू राम मीणा पत्नी श्री कमल मीणा द्वारा शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नम्बर 24 शिक्षा विहार के भूखण्ड संख्या बी-170 क्षेत्रफल 94.38 व.ग. का पट्टा चाहने हेतु आवेदन किया गया है। इस हेतु आवेदिका द्वारा गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना स्कीम नम्बर 24 शिक्षा विहार के भूखण्ड संख्या बी-170 क्षेत्रफल 94.38 व.ग. का श्रीमती नर्बदा देवी मीणा पत्नी श्री नेहनू



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								राम मीणा के पक्ष में आवंटन पत्र दिनांक 28.08.1999 जिसके पीछे के पृष्ठ पर आवंटन पत्रांक एस/24/91/469ए दिनांक 20.11.1997 प्लॉट नम्बर बी-11 का उल्लेख है किया गया है। साईट प्लान, जमा रसीद जो कि सुश्री पूनम पुत्री श्री करतार सिंह के नाम से वर्ष 25.08.1999 को जारी है श्रीमती नर्बदा देवी पत्नी श्री नहनू राम मीणा द्वारा श्रीमती उर्मिला मीणा पत्नी श्री नहनू राम मीणा पत्नी श्री कमल मीणा के पक्ष में उक्त भूखण्ड का रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 21.01.2021 निष्पादित किया गया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	--

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Urmila Meena W/o KAMAL MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।